उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार
विद्यावारिधि (**Ph.D.**) अध्यादेश (**Ordinance**)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया विनियम, 2016

(05 जुलाई, 2016 से प्रभावी)

उपाधि का नाम–

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय की शोध उपाधि एम.फिल. का नाम 'विशिष्टाचार्य' होगा, सम्बन्धित प्रमाणपत्र में एम.फिल. भी लिखा जायेगा। इसी प्रकार पीएच.डी. का नाम 'विद्यावारिधि' होगा, सम्बन्धित प्रमाणपत्र में पीएच.डी. भी लिखा जाएगा। प्रमाणपत्र में यह भी लिखा जाएगा कि यह उपाधि यूजीसी रेगुलेशन–2016 के प्रावधानों एवं नियमों के अनुरूप है। उपाधि में विभाग और संकाय, दोनों का उल्लेख होगा। शोध–विषय यथावत लिखा जाएगा।

1. एम.फिल. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता मानदंडः

1.1 एम.फिल. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय अथवा विधि द्वारा स्थापित और यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त किसी मानित विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विषय में आचार्य अथवा समकक्ष स्नातकोत्तर उपाधि अथवा एक व्यावसायिक उपाधि होगी जिसे समकक्ष सांविधिक निकाय द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि के समतुल्य घोषित किया गया हो, जिसमें अभ्यर्थी को कम से कम कुल 55% अंक अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 7 बिंदु मानक पर 'बी' ग्रेड प्राप्त हुए हों (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहां बिंदु मानक पर समकक्ष ग्रेड) अथवा ऐसे प्रत्यायित विदेशी शैक्षिक संस्थान से समकक्ष उपाधि प्राप्त की हो, जो कि किसी आकलन एवं प्रत्यायन एजेन्सी द्वारा प्रत्यायित है, जो कि शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आकलन, प्रत्यायन हेतु ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अथवा ऐसे एक प्राधिकरण के अन्तर्गत स्वीकृत एवं प्रत्यायित है जो कि उस देश में किसी कानून के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित है।

1.2 उत्तराखण्ड निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग जो (गैर लाभान्वित श्रेणी) (Non-Creamy Layer) से सम्बद्ध हैं अथवा समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अभ्यर्थियों की अन्य श्रेणियों के लिए अथवा दिनांक 19 सितम्बर, 1991 से पूर्व स्नातकोत्तर उपाधि अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 55% से 50% अंकों तक अर्थात् अंकों में 5% की छूट अथवा ग्रेड में समतुल्य छूट प्रदान की जा सकती है। 55% अर्हता अंक (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहां बिंदु मानक पर समकक्ष ग्रेड) तथा उपर्युक्त श्रेणियों में 5% अंकों की छूट केवल अर्हक अंकों के आधार पर ही अनुमेय है जिसमें रियायती अंक शामिल नहीं हैं।

2. पीएच.डी. पाठ्यक्रम* में प्रवेश हेतु पात्रता मानदंड :

इन विनियमों में विनिर्धारित शर्तों के अध्याधीन, निम्नवत् व्यक्ति पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने हेतु पात्र हैं:

2.1 उपरोक्त धारा 1 के अन्तर्गत विनिर्धारित मानदण्डों को पूरा करने वाले स्नातकोत्तर डिग्री धारक।

2.2 एम.फिल. पाठ्यक्रम को कम से कम कुल 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 7 बिंदु मानक पर 'बी' ग्रेड प्राप्त कर सफलतापूर्वक एम.फिल. उपाधि प्राप्त करने वाले (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहां बिंदु मानक पर समतुल्य ग्रेड) अभ्यर्थी शोध कार्य करने हेतु पात्र होंगे जिससे वे उसी संस्थान में समेकित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत पीएच.डी. उपाधि अर्जित कर सकें। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग जो (गैर लाभान्वित श्रेणी) (Non-Creamy Layer)/पृथक् रूप से निःशक्त से सम्बद्ध हैं अथवा समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए 55% से 50% अंकों तक अर्थात् अंकों में 5% की छूट अथवा ग्रेड में समतुल्य छूट प्रदान की जा सकती है।

---

*किसी भी प्रकार की विसंगति के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय शोध उपाधि समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

* • उत्तराखण्ड निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, **दिव्यांग श्रेणी** के आवेदकों को न्यूनतम अंकों में पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
- मेरिट का निर्धारण साक्षात्कार तथा स्नातकोत्तर उपाधि के अंक प्रतिशत के योग के आधार पर होगा।
- साक्षात्कार के लिये 100 अंक निर्धारित होंगे।
- दो आवेदकों के समान अंक होने पर ऐसे आवेदक का चयन किया जायेगा जो उम्र में बड़ा होगा।

परीक्षाफल की घोषणा–

लिखित प्रवेश–परीक्षा का अन्तिम परिणाम डाक द्वारा सूचित किया जाएगा और विश्वविद्यालय वेबसाइट एवं सूचनापट्ट पर भी लगाया जायेगा।

प्री–पीएच.डी. के बाद पंजीकरण की प्रक्रिया–

प्री–पीएच.डी. में सफल शोधार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा दी गयी तिथि के अनुसार निर्धारित पत्र में अपनी योग्यता एवं अनुसंधेय विषयों का उल्लेख करते हुए अपना आवेदन–पत्र संबद्ध विभाग में विभागाध्यक्ष के पास जमा कराना होगा।

अभ्यर्थी जिस विषय में शोध करना चाहता है, उसके विभागाध्यक्ष/प्रभारी अध्यक्ष से सम्पर्क कर अपने शोध–शीर्षक का चयन तथा रूपरेखा आदि का निर्माण निर्धारित निर्देशों के अनुसार करेंगे।

आवेदन पत्र के साथ विभागाध्यक्ष को शोध निर्देशक (यदि, कोई निर्धारित किया गया हो) की संस्तुति सहित रूपरेखा की दस प्रतियां (जिसमें अनुसन्धान के अध्ययन का अभिप्राय हो और स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित हो कि प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में उनका मौलिक योगदान होगा, अज्ञात सामग्री को प्रकाशित किया जायेगा अथवा पहले से ज्ञात तथ्यों की नवीन व्याख्या की जायेगी) जमा करानी होगी।
इसके बाद विश्वविद्यालय द्वारा घोषित तिथि को विभागीय शोध समिति (DRC) के समक्ष उपस्थित होना होगा। विभागीय शोध समिति द्वारा ही शोध–विषय का अन्तिम रूप से निर्धारण किया जाएगा।

2.3 कोई व्यक्ति जिसके एम.फिल. शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया है तथा मौखिक साक्षात्कार लंबित है, उसे उसी संस्थान के पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जा सकता है।

2.4 अभ्यर्थी जिनके पास उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय की एम.फिल. उपाधि के समकक्ष ऐसी उपाधि है जो कि विदेशी शैक्षिक संस्थान से है, जो कि किसी आकलन एवं प्रत्यायन एजेन्सी द्वारा प्रत्यायित है, जो शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आकलन, प्रत्यायन हेतु ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अथवा ऐसे एक प्राधिकरण के अन्तर्गत स्वीकृत एवं प्रत्यायित है जो कि उस देश में किसी कानून के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित है, ऐसे अभ्यर्थी पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र होंगे।

3. पाठ्यक्रम की अवधिः

3.1 एम.फिल. पाठ्यक्रम की न्यूनतम अवधि लगातार दो (02) सेमेस्टर/एक वर्ष और लगातार अधिकतम चार (04) सेमेस्टर/दो वर्ष होगी।

3.2 पीएच.डी. पाठ्यक्रम की अवधि कम से कम तीन वर्ष की होगी जिसमें प्री–पीएच.डी. पाठ्यक्रम से सम्बन्धित कार्य भी शामिल होगा तथा अधिकतम अवधि छह वर्ष होगी।

3.3 उपर्युक्त सीमा के अतिरिक्त समय विस्तारण को उन सापेक्ष धाराओं द्वारा अभिशासित किया जाएगा जो कि विश्वविद्यालय की सांविधि/अध्यादेश में विनिर्धारित है।

3.4 महिला अभ्यर्थी तथा निशक्त व्यक्ति (जिनकी निशक्तता 40 प्रतिशत से अधिक हो) उन्हें एम.फिल. में एक वर्ष की तथा पीएच.डी. के लिए अधिकतम दो वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, महिला अभ्यर्थियों को एम.फिल/ पीएच.डी. की समग्र अवधि में एक बार 240 दिनों तक का मातृत्व अवकाश/शिशु देखभाल अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

4. प्रवेश हेतु प्रक्रियाः

4.1 उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय के स्तर पर संचालित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से एम.फिल./पीएच.डी. छात्रों को प्रवेश उपलब्ध कराया जायेगा। जिन छात्रों ने यूजीसी–नेट (जेआरएफ सहित)/यूजीसी–सीएसआईआर नेट (जेआरएफ सहित)/स्लैट/गैट/शिक्षक अध्येतावृत्ति अथवा उन्होंने एम.फिल. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया है उन्हें प्रवेश परीक्षा से छूट दी जायेगी, किन्तु ऐसे आवेदकों के लिए भी साक्षात्कार में शामिल होना अनिवार्य होगा।

*लिखित प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार–

विश्वविद्यालय में प्रति वर्ष विद्यावारिधि उपाधि की प्रवेश प्रक्रिया को संपन्न करने के उद्देश्य से प्रवेशार्थियों के लिये लिखित प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। इस परीक्षा के लिए छात्र को अपना आवेदन पत्र विश्वविद्यालय कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करना होगा।

विद्यावारिधि लिखित प्रवेश परीक्षा में वे छात्र–छात्राएं भी सम्मिलित हो सकेंगे, जो स्नातकोत्तर अन्तिम वर्ष में अध्ययनरत हैं या जिन्होंने स्नातकोत्तर की अन्तिम वर्ष की परीक्षा दी है। ऐसे छात्र–छात्राओं के लिए साक्षात्कार की तिथि के पूर्व अपनी अर्हता परीक्षा (आचार्य या स्नातकोत्तर में वांछित अंक प्रतिशत के साथ) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा लिखित प्रवेश–परीक्षा उत्तीर्ण होने पर भी पंजीकरण संभव नहीं हो सकेगा। लिखित प्रवेश–परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले आवेदक उसी सत्र में पंजीकरण करा सकेंगे। प्रवेश पाने में असफल छात्र–छात्राएं पुनः प्रवेशार्थ अगले सत्र में नियमानुसार प्रवेश परीक्षा दे सकेंगे।

प्रवेश हेतु सीटों की संख्या, उपलब्ध सीटों का विषय, सीटों का विषयवार संवितरण, प्रवेश के मानदण्ड, प्रवेश की प्रक्रिया, परीक्षा केन्द्र तथा अभ्यर्थियों के लाभ के लिए अन्य सभी संगत जानकारी संस्था की वेबसाइट तथा कम से कम दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी।
सीटों का आरक्षण राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप होगा।

विद्यावारिधि लिखित प्रवेश परीक्षा का स्वरूप–

प्रत्येक विभागाध्यक्ष प्रत्येक वर्ष अपने विभाग में रिक्त शोध स्थानों की **सूचना संकायाध्यक्ष के माध्यम से** कुलसचिव को देंगे। तदनुसार सूचना प्रसारित की जायेगी।

रिक्त स्थानों का निर्धारण प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन मांगे जाने की तिथि को आधार–तिथि मानकर किया जाएगा।
विद्यावारिधि लिखित प्रवेश परीक्षा प्रत्येक सत्र में एक बार आयोजित की जा सकेगी।

4.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड एवं प्रक्रिया) विनियम 2016 के उप–खण्ड 1.2 में सन्दर्भित उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय में एम.फिल. और/अथवा पीएच.डी. पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति है, अतः इस विश्वविद्यालय द्वारा :–

4.2.1 वार्षिक आधार पर अपने शैक्षणिक निकायों के माध्यम से पूर्व निर्धारित तथा संतुलित संख्या में एम.फिल. और/अथवा पीएच.डी. शोधार्थी को दाखिला देगा जो कि उपलब्ध शोध पर्यवेक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक तथा उपलब्ध वास्तविक सुविधाओं पर निर्भर करेगी, तथा विद्वान् शिक्षक अनुपात (जैसा पैरा 5.5 में दर्शाया गया है) प्रयोगशाला, ग्रंथालय तथा ऐसी ही अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में मानदण्ड को ध्यान में रखा जाता है।

4.2.2 दाखिले हेतु सीटों की संख्या, उपलब्ध सीटों का विषय/विषयवार संवितरण, दाखिले का मानदण्ड, दाखिले की प्रक्रिया, परीक्षा केन्द्र जहां प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी तथा अभ्यर्थियों के लाभ के लिए अन्य सभी संगत जानकारी संस्थागत वेबसाइट तथा कम से कम दो (2) राष्ट्रीय समाचार पत्रों में पहले ही जारी की जाती है जिनमें से एक (01) समाचार पत्र क्षेत्रीय भाषा में होता है।

4.2.3 राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय आरक्षण नीति का यथास्थिति अनुपालन किया जाता है।

4.3 दाखिले, विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित मानदण्ड के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अन्य संबंधित सांविधिक निकायों द्वारा इस संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों/मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकारों की आरक्षण नीति को मद्देनजर रखते हुए किये जाते हैं।

4.4 उपर्युक्त उपखण्ड 1.2 में यह विश्वविद्यालय अभ्यर्थियों को द्विचरणीय प्रक्रिया के माध्यम से दाखिला देगाः

4.4.1 प्रवेश परीक्षा, अर्हक परीक्षा होगी जिसमें 50% अर्हता अंक होंगे। प्रवेश परीक्षा के पाठ्यविवरण में 50% शोध पद्धति तथा 50% विशिष्ट विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रवेश परीक्षा पहले ही अधिसूचित केन्द्र (यदि केन्द्रों में कोई परिवर्तन होता है तो पर्याप्त समय पूर्व उसकी जानकारी पृथक् संस्थान/महाविद्यालय को दी जायेगी) जो कि सम्बद्ध विश्वविद्यालय के स्तर पर हो, जैसा कि धारा 1.2 में संकेत दिया गया है;

***प्रवेश–परीक्षा योजना–**

विद्यावारिधि लिखित प्रवेश परीक्षा में 200 अंकों का एक प्रश्न–पत्र होगा, जो दो खण्डों में विभक्त होगा। प्रश्नपत्र का प्रथम खण्ड (क) 100 अंकों का होगा, जिसमें कुल 50 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इन प्रश्नों की प्रकृति यू.जी.सी., नेट के प्रथम प्रश्नपत्र के अनुरूप होगी। इसमें शोध प्रविधि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर होंगे। प्रत्येक प्रश्न दो अंक का होगा।

प्रश्न पत्र का द्वितीय खण्ड (ख) भी 100 अंकों का होगा, जो शोधार्थी के स्नातकोत्तर विषय से सम्बन्धित होगा, इसके लिए आधार आचार्य/स्नातकोत्तर परीक्षा के पाठ्यग्रन्थ निर्धारित होंगे। सम्बन्धित पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रश्नपत्र में भी 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न दो अंक का होगा।

- प्रश्न पत्र की भाषा संस्कृत/हिन्दी होगी।
- परीक्षा समय दो घंटे होगा।
- गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जाएंगे।
- उत्तर पुस्तिकाओं का पुनःमूल्यांकन और पुनः गणना नहीं की जाएगी।
- लिखित परीक्षा में कुल 50 प्रतिशत अंक पाने वाले आवेदक साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किए जाएंगे। एवं

4.4.2 जिस समय अभ्यर्थियों के लिए उनके शोध रुचि/क्षेत्र पर कोई चर्चा एक विधिवत् गठित विभागीय शोध समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण माध्यम से की गई हो तो विश्वविद्यालय द्वारा एक साक्षात्कार/मौखिक साक्षात्कार संचालित किया जाएगा जैसा कि उपरोक्त धारा 1.2 में संकेत दिया गया है।

4.5 साक्षात्कार/मौखिक साक्षात्कार में निम्नवत् पहलुओं पर भी विचार किया जाएगा, अर्थात् क्याः

4.5.1 क्या अभ्यर्थी में प्रस्तावित शोध के लिए क्षमता है;

4.5.2 प्रस्तावित शोधकार्य सुलभतापूर्वक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में क्रियान्वित किया जा सकता है;

4.5.3 प्रस्तावित शोध के क्षेत्र द्वारा नवीन/अतिरिक्त ज्ञान में योगदान प्राप्त हो सकता है।

*विभागीय शोध समिति :–

विद्यावारिधि में चयन के लिए विभाग स्तर पर साक्षात्कार निम्न समिति द्वारा लिया जाएगा, **यही समिति विभागीय शोध समिति कहलाएगी। इसी समिति द्वारा प्री–पीएच.डी. कोर्स के बाद शोध–विषय का निर्धारण भी किया जाएगा।**

विभागाध्यक्ष/प्रभारी अध्यक्ष	अध्यक्ष
सम्बन्धित विभाग के सभी आचार्य एवं सह आचार्य	सदस्य
सम्बन्धित विभाग के वे सभी सहायक आचार्य,जो शोध–निर्देशक बनने की अर्हता रखते हैं।	सदस्य
कुलपति द्वारा मनोनीत दो बाह्य विषय–विशेषज्ञ	सदस्य

(विभागीय शोध समिति के आन्तरिक सदस्यों के द्वारा पांच विशेषज्ञों की एक सूची कुलपति को उपलब्ध कराई जाएगी, जिनमें से कुलपति द्वारा दो विशेषज्ञों का चयन विभागीय शोध समिति के लिए किया जाएगा।)

कुलपति को यह भी अधिकार होगा कि वह सूची से भिन्न विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सके।

उपर्युक्त समिति द्वारा अभ्यर्थी की योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जांच भी की जाएगी।

4.6 विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट पर एम.फिल./पीएच.डी. के लिए पंजीकृत सभी छात्रों की सूची का रख–रखाव वार्षिक आधार पर करेगा। सूची में पंजीकृत अभ्यर्थी का नाम, उसके शोध का विषय, उसके पर्यवेक्षक/सह–पर्यवेक्षक/निर्देशक/सह–निर्देशक नामांकन/पंजीकरण की तिथि आदि शामिल होंगे।

*शोध समिति की स्वीकृति के बाद सभी शोध–शीर्षक विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। किसी शोध–शीर्षक के बारे में, उसे अपलोड किए जाने की तिथि के 15 के दिन के अंदर कोई शिकायत सही पाए जाने पर उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा।

5. शोध पर्यवेक्षक का निर्धारणः शोध पर्यवेक्षक, सह–पर्यवेक्षक बनने हेतु पात्रता मानदण्ड, प्रति पर्यवेक्षक/निर्देशक अनुमेय एम.फिल./पीएच.डी. शोधार्थियों की संख्या आदि।

5.1 उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय का कोई भी नियमित रूप से नियुक्त आचार्य जिसने किसी संदर्भित पत्रिका में कम से कम पांच शोध प्रकाशन प्रकाशित किए हैं और विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का कोई नियमित सह/सहायक आचार्य जो पीएच.डी. उपाधि धारक हो तथा जिसके संदर्भित पत्रिकाओं में कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किए गए हों उसे शोध पर्यवेक्षक/निर्देशक के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकती है।

बशर्ते कि उन क्षेत्रों/विधाओं में जहां कोई भी संदर्भित पत्रिका नहीं हों अथवा केवल सीमित संस्था में संदर्भित पत्रिका हो, तो संस्थान किसी व्यक्ति को शोध पर्यवेक्षक/निर्देशक के रूप में मान्यता प्रदान करने की उपर्युक्त शर्तों में लिखित रूप से कारण दर्ज कर छूट प्रदान कर सकता है।

5.2 केवल विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालय के पूर्णकालिक शिक्षक ही पर्यवेक्षक/निर्देशक के रूप में कार्य कर सकते हैं। बाह्य पर्यवेक्षकों/निर्देशकों को अनुमति नहीं है। तथापि, विश्वविद्यालय के अन्य विभागों से अथवा अन्य सम्बद्ध संस्थाओं से अंतर–विषयी क्षेत्रों में सह–पर्यवेक्षकों/सह–निर्देशकों को शोध परामर्श समिति के अनुमोदन से अनुमति प्रदान की जा सकती है।

शोध–केन्द्र –

सामान्यतः विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग ही शोध–केन्द्र होंगे, लेकिन विश्वविद्यालय शोध उपाधि समिति विशेष परिस्थितियों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों/महाविद्यालयों को भी शोध–केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान करेगी। किन्तु कोर्स वर्क की कक्षाएं विश्वविद्यालय परिसर में ही आयोजित की जाएंगी। **इस सम्बन्ध में निर्णय लिए जाने के लिए यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित 'मान्यता–प्रक्रिया' का यथावत पालन किया जाएगा। किसी भी अन्य संस्था को शोध–केंद्र बनाए जाने से पूर्व वहां उपलब्ध बुनियादी ढांचे और शोध–सुविधाओं का गहन आकलन किया जाएगा।** सभी अपेक्षित सुविधाओं का सत्यापन कुलपति द्वारा गठित पैनल द्वारा किया जाएगा। इस पैनल में सम्बन्धित विभाग से विभागाध्यक्ष के संयोजकत्व में विभागीय एक शिक्षक और दो बाह्य विद्वान शामिल किए जाएंगे। पैनल की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय शोध उपाधि समिति और विद्या परिषद द्वारा अंतिम अनुमति प्रदान की जाएगी।

पीएच.डी. पाठ्यक्रम के लिए महाविद्यालयों द्वारा पूर्ण की जाने वाली शर्तें–

महाविद्यालयों को केवल उस स्थिति में एम.फिल./पीएच.डी. पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु पात्र माना जाएगा, जब वे इन विनियमों के अनुरूप पात्र शोध पर्यवेक्षकों की उपलब्धता, प्रशासनिक तथा शोध संवर्धन सुविधाएं होने के संबंध में संतुष्ट कर पाएंगे।

इसके लिए महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभाग में कम से कम दो पीएच.डी. अर्हता प्राप्त शिक्षक/वैज्ञानिक/अन्य शैक्षणिक स्टाफ हो तथा साथ ही अपेक्षित अवसंरचना, सहायक प्रशासनिक एवं शोध संर्वधन सुविधाएं मौजूद हों।

नवीनतम पुस्तकों सहित ग्रंथालय संसाधन, भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, ई–जर्नल, सभी विधाओं हेतु विस्तारित कार्य घंटे, विभाग/ग्रंथालय में शोधार्थियों हेतु पठन, लेखन हेतु पर्याप्त स्थान, अध्ययन तथा शोध सामग्री के भण्डारण की व्यवस्था होनी चाहिए।

उपस्थिति–

शोधकार्य पूर्णकालिक होगा, शोधार्थियों को संबंधित विभाग में अपने निर्देशक या सह–निर्देशक के पास नियमित उपस्थिति दर्ज करानी होगी, कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। कुलपति के स्तर से 10 प्रतिशत की छूट विषेश परिस्थिति में ही प्रदान की जा सकेगी। यदि शोधार्थी का शोध केन्द्र विश्वविद्यालय मुख्यालय से बाहर है तो उसे संबंधित स्थान पर नियमित उपस्थित रहकर कार्य करने का प्रमाण देना होगा। यह प्रमाण पत्र शोध निर्देशक/सह–शोध निर्देशक या संबंधित केंन्द्र के अध्यक्ष अथवा प्रभारी की ओर से जारी होना चाहिए।

शोधार्थी के रूप में संस्कृत विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों/कार्मिकों एवं अन्य सरकारी संस्थाओं के कार्मिकों को विश्वविद्यालय शोध उपाधि समिति की अनुशंसा पर सांध्यकालीन उपस्थिति की अनुमति प्रदान की जा सकेगी। हालांकि, इन्हें पंजीकरण से पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी।

उपस्थिति की अनिवार्यता प्रारम्भिक तीन वर्षों के लिए लागू होगी। इन तीन वर्षों में प्री–पीएच.डी. पाठ्यक्रम की अवधि भी शामिल होगी।

आरक्षण एवं शोधवृत्ति–

सभी विषयों में राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप स्थान आरक्षित होंगे। क्षैतिज आरक्षण में आवेदक उपलब्ध न होने पर सम्बन्धित सीटों को सामान्य श्रेणी को आवंटित किया जा सकेगा। मेधावी शोधार्थियों को यू.जी.सी. और राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप शोधवृत्ति भी प्रदान की जायेगी।

शुल्क–

विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप शुल्क जमा करना होगा। शुल्क का उल्लेख विश्वविद्यालय की शोध विवरणिका में किया जायेगा।

5.3 किसी चयनित शोधार्थी के लिए शोध पर्यवेक्षक/निर्देशक के निर्धारण के संबंध में संबंधित विभाग द्वारा प्रति शोध पर्यवेक्षक/निर्देशक विभाग द्वारा प्रति शोध पर्यवेक्षक विद्वानों की संख्या, पर्यवेक्षकों की विशेषज्ञता तथा विद्वानों की शोध रुचि, जैसा कि उनके द्वारा साक्षात्कार/मौखिक साक्षात्कार के समय इंगित किया गया हो, जिसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

5.4 ऐसे शोध हेतु शीर्षक जो अंतर विषयी स्वरूप के हैं, जहां संबंधित विभाग यह अनुभव करता है कि विभाग में उपलब्ध विशेषज्ञता की बाहर से अनुपूर्ति की जानी चाहिए, उस स्थिति में विभाग स्वयं अपने ही विभाग से शोध पर्यवेक्षक/निर्देशक की नियुक्ति करेगा, जिसे शोध पर्यवेक्षक/निर्देशक के रूप में जाना जाएगा और विभाग/संकाय/महाविद्यालय/संस्थान के बाहर से एक सह–पर्यवेक्षक/सह–निर्देशक को ऐसी निबंधन व शर्तों पर सह–पर्यवेक्षक/सह–निर्देशक नियुक्त किया जाएगा जैसा कि सहमति प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा और जिनपर आपस में सहमति बनेगी।

5.5 किसी एक समय के दौरान कोई भी आचार्य के पद पर नियुक्त पदधारी, शोध पर्यवेक्षक/निर्देशक, सह पर्यवेक्षक/सह–निर्देशक के रूप में तीन (03) एम.फिल. तथा आठ (08) पीएच.डी. शोधार्थियों से अधिक का मार्गदर्शन प्रदान नहीं कर सकता है। कोई भी सह आचार्य, शोध पर्यवेक्षक/निर्देशक के रूप में अधिकतम दो (02) एम.फिल. तथा छह (06) पीएच.डी. शोधार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है तथा शोध पर्यवेक्षक/निर्देशक के रूप में सहायक आचार्य अधिकतम एक (01) एम.फिल. और चार (04) पीएच.डी. शोधार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है।

5.6 विवाह अथवा अन्यथा किसी कारण से किसी एम.फिल./पीएच.डी. महिला शोधार्थी के अन्यत्र चले जाने पर, शोध आंकड़ों को ऐसे विश्वविद्यालय को अंतरित करने की अनुमति होगी जहां शोधार्थी पुनः जाना चाहे बशर्ते कि इन विनियमों की अन्य सभी निबंधन और शर्तों का शब्दशः पालन किया जाए तथा शोध कार्य किसी मूल संस्थान/पर्यवेक्षक/निर्देशक द्वारा किसी वित्तपोषण एजेंसी से प्राप्त न किया गया हो। तथापि, शोधार्थी मूल संस्थान के मार्गदर्शन तथा संस्थान को पूर्व में किए गए शोध कार्य के अंकों के लिए उसे पूर्ण श्रेय देगा।

6. पाठ्यक्रम संबंधी कार्य : श्रेय अपेक्षाएं, संख्या, अवधि, पाठ्यविवरण, कार्य पूर्ण करने के न्यूनतम मापदण्ड आदि।

6.1 एम.फिल. और पीएच.डी. पाठ्यक्रम संबंधी कार्य के लिए न्यूनतम 08 क्रेडिट तथा अधिकतम 16 क्रेडिट दिए जाएंगे।

6.2 पाठ्यक्रम संबंधी कार्य को एम.फिल./पीएच.डी. की तैयारी के लिए पूर्वापेक्षा माना जाएगा। शोध पद्धति पर एक या एक से अधिक पाठ्यक्रम को कम से कम चार क्रेडिट दिए जाएंगे जिसमें ऐसे क्षेत्र जैसे परिमाणात्मक पद्धति, कम्प्यूटर अनुप्रयोग, शोध संबंधी आचार तथा संगत क्षेत्र में प्रकाशित शोध की समीक्षा, प्रशिक्षण, क्षेत्र कार्य आदि शामिल हैं। अन्य पाठ्यक्रम उन्नत स्तर के पाठ्यक्रम होंगे जो छात्रों को एम.फिल./पीएच.डी. के लिए तैयार करेंगे।

6.3 एम.फिल. और पीएच.डी. के लिए विहित सभी पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम संबंधी कार्य क्रेडिट घंटे संबंधी अनुदेशात्मक अपेक्षाओं के अनुरूप होगा तथा वह विषयवस्तु, अनुदेशात्मक तथा मूल्यांकन संबंधी पद्धतियों को विनिर्दिष्ट करेगा। वे प्राधिकृत शैक्षणिक निकायों द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित किए जाएंगे।

6.4 ऐसे विभाग जहां विद्वान् अपना शोध कार्य जारी रखते हैं, वे शोध विद्वानों को शोध सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर नीचे दिए गए उप–खण्ड 7.1 में यथा विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रमों को विहित करेंगे।

6.5 एम.फिल. तथा पीएच.डी. कार्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त सभी अभ्यर्थियों को प्रारंभिक प्रथम अथवा दो सेमेस्टरों के दौरान विभाग द्वारा विहित पाठ्यक्रम संबंधी कार्य को पूर्ण करना अपक्षित होगा।

6.6 पहले ही एम.फिल. उपाधि धारक अभ्यर्थी जिन्हें पीएच.डी. पाठ्यक्रम में दाखिला प्राप्त हो गया है, अथवा जिन्होंने पहले ही एम.फिल. में पाठ्यक्रम संबंधी कार्य पूर्ण कर लिया है तथा जिन्हें पीएच.डी. समेकित पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है, उन्हें विभाग द्वारा पीएच.डी. पाठ्यक्रम संबंधी कार्य से छूट प्रदान की जा सकती है। अन्य सभी अभ्यर्थी जिन्हें पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया है उन्हें विभाग द्वारा विहित पीएच.डी. पाठ्यक्रम संबंधी कार्य को पूर्ण करना अपेक्षित होगा।

6.7 शोध पद्धति पाठ्यक्रमों सहित पाठ्यक्रम संबंधी कार्य में ग्रेड को शोध सलाहकार समिति द्वारा समेकित मूल्यांकन किए जाने के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा तथा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को अंतिम ग्रेड के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी।

6.8 किसी एम.फिल./पीएच.डी. शोधार्थी को पाठ्यक्रम संबंधी कार्य में न्यूनतम 55% अंक अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 7 बिंदु मानक पर इसके समकक्ष ग्रेड (अथवा जहां भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है समकक्ष ग्रेड/सीजीपीए) प्राप्त करना होगा ताकि वह पाठ्यक्रम को जारी रखने के लिए पात्र हो तथा उसे शोध प्रबंध/थीसिस जमा करने होंगे।

***विद्यावारिधि एकसत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम (कोर्स–वर्क)**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (न्यूनतम मानक व प्रक्रिया विनियम–2016) के अनुसार विश्वविद्यालय सभी शोध छात्रों के लिए छह माह का एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित करेगा।

एम.फिल. तथा पीएच.डी. कार्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त सभी अभ्यर्थियों नियत समय में प्री–पीएच.डी. पाठ्यक्रम को पूर्ण करना होगा। कोर्स के अंत में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

इस परीक्षा में 80–80 अंकों के दो प्रश्नपत्र होंगे। प्रथम प्रश्नपत्र शोध प्रविधि और कंप्यूटर दक्षता पर आधारित होगा। द्वितीय प्रश्नपत्र उस विषय पर आधारित होगा, जिस विषय में शोध के लिए आवेदन किया गया है। प्रत्येक प्रश्नपत्र में 20–20 अंकों का विभाग स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा।
किसी एम.फिल./पीएच.डी. शोधार्थी को पाठ्यक्रम संबंधी कार्य में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 7 बिंदु मानक पर इसके समकक्ष ग्रेड (अथवा जहां भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है समकक्ष ग्रेड/सीजीपीए) प्राप्त करना होगा।

विशेष–

– एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम दो अवसर प्रदान किये जाएंगे।
– दो अवसरों में उत्तीर्ण न होने पर पंजीकरण स्वतः रद्द हो जाएगा।
– एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने का सर्टिफिकेट अलग से प्रदान किया जाएगा।
– एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने पर ही शोध कार्य आरंभ करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
– पीएच.डी. में पंजीकृत उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों/कार्मिकों के लिए इस पाठ्यक्रम की कक्षाएं दीर्घ–अवकाश के दिनों में संचालित की जाएंगी। इन सभी के लिए भी एक सत्रीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होगी।
– कोर्स–वर्क के अंतर्गत शोध प्रविधि एवं कंप्यूटर से सम्बन्धित कक्षाएं विश्वविद्यालय स्तर पर एकीकृत रूप से संचालित की जाएंगी। जबकि, विषय से सम्बन्धित कक्षाएं विभागों में संचालित की जाएंगी।
– आवश्यकतानुसार सुसंगत विषयों के समूह बनाकर भी कक्षाएं संचालित की जा सकेंगी।

7. शोध सलाहकार समिति तथा इसके प्रकार्यः

7.1 संबंधित संस्थान के परिनियम/अध्यादेश में यथा परिभाषित, प्रत्येक एम.फिल. और पीएच.डी. शोधार्थी के लिए इसी प्रयोजनार्थ एक शोध सलाहकार समिति, अथवा एक समकक्ष निकाय होगा। शोधार्थी का शोध पर्यवेक्षक इस समिति का समन्वयकर्ता होगा। इस समिति के उत्तरदायित्व निम्नवत होंगेः

7.1.1 शोध प्रस्तावों की समीक्षा करना तथा शोध के शीर्षक को अंतिम रूप देना;

7.1.2 शोधार्थी को अध्ययन ढांचे तथा पद्धति को विकसित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना तथा उसके द्वारा पूर्ण किए जाने वाले पाठ्यक्रमों की पहचान कराना।

7.1.3 शोधार्थी के शोध कार्य की आवधिक समीक्षा करना तथा प्रगति में सहायता प्रदान करना।

7.2 शोधार्थी छह माह में एक बार शोध सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित होकर मूल्यांकन तथा आगे का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अपने कार्य की प्रगति के संबंध में एक प्रस्तुति देगा। शोध सलाहकार समिति द्वारा छह मासिक प्रगति रिपोर्ट संस्थान/महाविद्यालय को तथा इसकी एक प्रति शोधार्थी को भेजी जाएगी।

7.3 यदि शोधार्थी की प्रगति असंतोषजनक हो तो, शोध सलाहकार समिति इसके कारण दर्ज करेगी तथा उपचारात्मक उपाय सुझाएगी। यदि शोधार्थी इन उपचारात्मक उपायों को कार्यान्वित करने में असफल बना रहता है तो शोध सलाहकार समिति शोधार्थी के पंजीकरण को रद्द करने के विशिष्ट कारण दर्ज कर संस्थान/महाविद्यालय को इसकी सिफारिश कर सकती है।

***शोध प्रबन्ध के लिए अपेक्षाएं–**

यह एक ऐसा गुण–दोष विवेचित विशिष्ट कार्य होना चाहिए, जिसमें या तो नवीन तथ्यों का अनुसन्धान हो अथवा सैद्धान्तिक तथ्यों की नवीन व्याख्या की गयी हो। उपर्युक्त दोनों बातों में आलोचनात्मक परीक्षण और दृढ़ निर्णय अनुसन्धाता की क्षमता का स्पष्ट सूचक माने जायेंगे।

भाषा और विषय प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से भी शोध प्रबन्ध सन्तोषजनक होना चाहिए। भाषा तथा शैली स्पष्ट एवं साहित्यिक होनी चाहिए।

शीर्षक का निर्धारण (शोध समस्या का निर्धारण)–

अप्रकाशित हस्तलेखों के संपादन/समीक्षा विषयक शोध विषय लेने पर शोधार्थी को 'शोध प्रक्रिया विज्ञान' के प्रशिक्षण शिविर में प्राप्त ज्ञान के अनुकूल मानदण्डों पर कार्य करना होगा। संबद्ध समस्याओं का निराकरण भी इन प्रशिक्षण शिविरों में किया जा सकता है। ये शिविर एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे।

जो शोधार्थी स्वतन्त्र विषय पर कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा सामान्यतः अति–विस्तृत आयाम वाले शीर्षक नहीं अपनाये जाने चाहिए। शोध–शीर्षक इस प्रकार होने चाहिए कि शोधकर्ता अपने शोध विषय के कुछ विशिष्ट बिन्दुओं एवं समस्याओं का विशिष्ट अध्ययन करके किन्हीं स्पष्ट निर्णयों तक पहुंच सके।

शोध शीर्षक के चुनाव का औचित्य –

शोध छात्र को चाहिये कि वह शोध प्रारूप में शोध शीर्षक के निर्धारण के विषय में विस्तारपूर्वक औचित्य प्रतिपादन करें। शीर्षक में अति या लघु व्याप्ति दोष न हो।

शोध विषय की प्रासंगिकता तथा महत्त्व –

इस शोध के माध्यम से विषय से संबद्ध ज्ञान के क्षेत्र में, किस प्रकार की वृद्धि हो सकती है और किन मौलिक विचारों की उद्भावना संभव हो सकती है, इन बिन्दुओं का प्रतिपादन होना आवश्यक है। जहां संभव हो, विषय के वैज्ञानिक तथा सामाजिक महत्व का प्रतिपादन भी होना चाहिए। संभावित उपसंहार का उल्लेख भी किया जाना उचित होगा।

उस विषय पर किये जा चुके अध्ययनों का उल्लेख –

अपने शोध–निर्देशक की सहायता से शोधार्थी, उस विषय तथा उसके संबंधित पक्षों के विषय में हुए अध्ययनों की सामान्य रूप–रेखा प्रस्तुत करेंगे। इस सामान्य निरीक्षण के अन्तर्गत विषय से संबंधित जिन समस्याओं का अध्ययन हो चुका है, जिन पर अध्ययन नहीं हुआ है तथा जिन पक्षों पर अध्ययन किया जाना अपेक्षित है आदि सभी का उल्लेख होना चाहिए। यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि विषय से संबंधित अध्ययनों में जो निगमन दिखाये गये हैं, वे अपूर्ण हैं तथा शोधार्थी को स्वीकार नहीं हैं, अतः शोधार्थी उन पक्षों पर नई व्याख्या प्रस्तुत करना चाहता है या अधिक तर्कसम्मत निर्णय प्रस्तुत करना चाहता है।

शोध का आयाम –

विषय के वर्तमान अध्ययनों तथा विषय की प्रासंगिकता के आलोक में शोधार्थी को संभावित उपसंहार का प्रस्ताव करना चाहिए जिसे वह अपने अध्ययन के माध्यम से प्रस्तुत कराना चाहता है। यह संभव है कि उसकी दृष्टि इस संबंध में मात्र संभावना तक सीमित हो, यह भी संभव है कि शोध काल के प्रारूप में प्रदर्शित निर्णयों में शोधार्थी मौलिक परिवर्तन करें। तथापि यह उचित होगा कि अपनी प्राक् अवधारणाओं को शोधार्थी स्पष्टता से प्रस्तुत करें। शोध कार्य का मुख्य लक्ष्य यह होना चाहिए कि शोध छात्र किसी भी विषय पर सही तथा वैज्ञानिक रीति से अनुसन्धान करने तथा तर्कसम्मत निर्णय प्रस्तुत करने की योग्यता अपने अन्दर उत्पन्न कर सके।

शोध प्रबन्ध की संरचना–

शोध प्रबन्ध के संभावित अध्यायों को प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिये। शोध पूर्ण होने पर उन अध्यायों में परिवर्तन आदि की संभावना भी स्वीकार्य हो सकती है। सामान्यतः अध्यायों का प्रारूप पूर्वकथित महत्व, आयाम, प्रासंगिकता तथा संभावित उपसंहार के आधार पर निर्मित होना चाहिए। अध्यायों के विभाजन में क्रमिकता का ध्यान रखना आवश्यक है। यह क्रमिकता विचारों की प्रस्तुति के क्रम पर भी आधारित हो सकती है।

प्रत्येक अध्याय के संभावित बिन्दुओं को अवश्य लिखा जाना चाहिए, जिससे प्रारूप स्पष्ट हो सके। इसी प्रकार संभावित निर्णयों को बिन्दुशः प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा ना प्रतीत हो कि शोध–सार प्रस्तुत किया जा रहा है।

सन्दर्भ सूची – शोध प्रारूप में सम्बन्धित विषय के प्रमुख ग्रन्थों की एवं प्रमुख शोध लेखों की सूची समुचित रीति से प्रस्तुत की जानी चाहिए। जिसमें प्रकाशन/लेखक/सम्पादक, प्रकाशन स्थान एवं प्रकाशन वर्ष का स्पष्ट उल्लेख हो। सन्दर्भ हमेशा प्रथम या मूल स्रोत से ही लिए जाने चाहिएं।

शोधप्रबन्ध का आन्तरिक स्वरूप –

1. प्रथम पृष्ठ (वि.वि. का नाम, लोगो, शोधार्थी एवं निर्देशक का नाम, विभाग का नाम और वर्ष)
2. शोधार्थी का घोषणा पत्र
3. शोधनिर्देशक का प्रमाण पत्र
4. अनुक्रमणिका।
5. ग्रन्थ संक्षेप सूची
6. (क) भूमिका/प्रस्तावना
   (ख) आभार
7. अध्याय (क्रमानुसार)
8. उपसंहार/निष्कर्ष
9. सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
10. परिशिष्ट (यदि लागू हो)
11. शोध प्रबन्धप्रबन्ध के बाह्य कलेवर के पार्श्व में लंबाई में शोध शीर्षक एवं वर्ष का उल्लेख
12. 06 मासिक कोर्स का प्रमाण पत्र
13. 2016 के अनुरूप होने का प्रमाण पत्र
14. शोध प्रबन्ध के कॉपीराइट का प्रमाण–पत्र

विशेष : शोध प्रबन्ध पृष्ठों के दोनों ओर टंकित किया जाएगा।

विश्वविद्यालय शोध उपाधि समिति एवं प्रकाशन समिति–

विश्वविद्यालय में शोध विषयक नियमों, नीतियों, मानकों के निर्धारण तथा शोध कार्यों के नियमन एवं उच्च स्तरीय मॉनीटरिंग के लिए शोध उपाधि समिति का गठन किया जाएगा, जिसका गठन निम्नरूपेण किया जायेगा :–

कुलपति	अध्यक्ष
सभी संकायाध्यक्ष	सदस्य
सभी विभाग अध्यक्ष	सदस्य

सभी आचार्य	सदस्य
विश्वविद्यालय का सबसे वरिष्ठ सह आचार्य (एक–एक वर्ष के लिए चक्रानुक्रम से)	सदस्य
विश्वविद्यालय का सबसे वरिष्ठ सहायक आचार्य (एक–एक वर्ष के लिए चक्रानुक्रम से)	सदस्य
विद्यापरिषद् का एक प्रतिनिधि	सदस्य
कुलपति द्वारा मनोनीत विशेषज्ञ (जिन विषयों में शोध कराया जा रहा है, उन सभी से एक–एक)	सदस्य
अध्यक्ष, शोध विभाग/शोध अधिकारी	सदस्य

कुलपति की अनुपस्थिति में उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति समिति (U.R.D.C.) की बैठक की अध्यक्षता कर सकेगा। समिति की बैठक सामान्यतः प्रति छः माह पर होगी, लेकिन कुलपति को आवश्यकतानुसार बैठक बुलाने का अधिकार होगा। **U.R.D.C. में एक वर्ष के चक्रानुक्रम से डीन सदस्य सचिव होगा।** डीन के सभी पद रिक्त होने पर विभाग अध्यक्षों में सबसे वरिष्ठ आचार्य/सह आचार्य को एकवर्षीय चक्रानुक्रम से सदस्य सचिव बनाया जा सकेगा।

शोध पत्रों एवं संगोष्ठियों की अनिवार्यता–

यह अनिवार्य होगा कि शोध के दौरान शोधार्थी अपने शोध विषय पर कम से कम दो शोध पत्र किसी प्रतिष्ठित मूल्यांकित शोध पत्रिका या जर्नल (ISSN नंबर से युक्त) में प्रकाशित कराए और सम्बन्धित विषय पर राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय स्तर की न्यूनतम दो शोध संगोष्ठी में प्रतिभाग करे।

विशेष निर्देश–

शोधार्थी को प्रत्येक तीन माह पर प्रगति विवरण विभागीय कार्यालय में जमा कराना होगा। निरन्तर तीन त्रैमासिक प्रगति विवरण जमा न करने पर शोध पंजीकरण स्वतः निरस्त माना जाएगा। इसके लिए पृथक से कोई सूचना/पत्राचार नहीं किया जाएगा। यद्यपि, स्वास्थ्य सम्बन्धी आपात परिस्थितियों एवं प्रसूति/मातृत्व के दृष्टिगत विश्वविद्यालय शोध उपाधि समिति शोध कार्य जारी रखने की अनुमति प्रदान कर सकेगी। किन्तु ऐसे मामलों में शोधार्थी को नौ माह पूर्ण होने से पूर्व ही लिखित प्रार्थनापत्र देना होगा।

शोध–प्रबन्ध की प्रस्तुति–

परम्परागत विषयों में शोध–प्रबन्ध की भाषा संस्कृत होगी, आधुनिक विषयों में संस्कृत अथवा हिन्दी अथवा अंग्रेजी में भी शोधप्रबन्ध जमा किए जा सकेंगे। विश्वविद्यालय शोध उपाधि समिति शोधार्थी के विशेष अनुरोध पर आधुनिक विषयों में शोधप्रबन्ध की भाषा को परिवर्तित करने की अनुमति दे सकेगी। पंजीकरण के न्यूनतम 36 माह पश्चात् शोधार्थी शोध–प्रबन्ध के शोध सार की प्रस्तुति (प्रजेंटेशन) के लिए सम्बन्धित विभाग के अध्यक्ष को शोध निर्देशक की संस्तुति सहित प्रार्थना पत्र देगा। 36 माह की अवधि की गणना प्री–पीएच.डी. में प्रवेश के माह से की जाएगी।

इसी क्रम में विभागाध्यक्ष अधिकतम दो सप्ताह के अन्तर्गत निश्चित तिथि को एक संगोष्ठी का आयोजन करेंगे, इस संगोष्ठी में विभागीय शोध समिति द्वारा शोधसार की समीक्षा के पश्चात् शोधप्रबन्ध जमा करने की स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी।

शोध प्रबन्ध पूर्ण होने के उपरान्त शोधार्थी को शोध प्रबन्ध एवं संक्षेपिका की पांच टंकित प्रतियां तथा दो सीडी शोध निर्देशक एवं विभागाध्यक्ष की संस्तुति के साथ परीक्षा विभाग में प्रस्तुत करनी अनिवार्य होंगी। इनमें से एक सीडी शोध विभाग द्वारा एक महीने के भीतर यू.जी.सी. के शोध गंगा पोर्टल को भेजी जाएगी। शोध प्रबन्ध का कलेवर सामान्यतः 200 पृष्ठों का होना अनिवार्य होगा। उपाधि प्रदान किए जाने के बाद शोधग्रन्थ की एक प्रति लाइब्रेरी एवं एक प्रति सम्बन्धित विभाग को प्रदान की जाएगी।

मौलिकता प्रमाणपत्र–

यह आवश्यक होगा कि शोध समिति द्वारा निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार ही शोधप्रबन्ध प्रस्तुत किया जाए। सामान्यतः शोधसमिति द्वारा स्वीकृत शोध प्रारूप के अनुरूप ही शोधार्थी को शोधप्रबन्ध तैयार करना होगा। यदि प्रारूप में परिवर्तन किया गया है तो शोध निर्देशक द्वारा कारण सहित विवरण दिया जाना होगा। किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए विभागीय शोध समिति की अनुमति अनिवार्य होगी।

शोध प्रबन्ध को मूल्यांकन हेतु जमा करने से पूर्व शोधार्थी से वचनबद्धता प्राप्त की जाएगी तथा शोध निर्देशक द्वारा कार्य की मौलिकता के अनुप्रमाणन स्वरूप एक प्रमाणपत्र जमा करना होगा, जिसमें यह आश्वासन दिया जाएगा कि किसी भी प्रकार की साहित्यिक चोरी नहीं की गई है तथा यह कार्य किसी भी संस्थान में किसी अन्य उपाधि/डिप्लोमा पाठ्यक्रम अवार्ड करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है।

परीक्षकों की नियुक्ति–

शोध–प्रबन्ध के मूल्यांकन के लिए परीक्षकों की प्रारम्भिक सूची का निर्माण निर्देशक एवं विभागाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। इस सूची के लिए प्रत्येक द्वारा दो–दो नाम दिए जाएंगे। समिति द्वारा प्रस्तावित चार नामों में से तीन की कुलपति द्वारा स्वीकृति की जायेगी। कुलपति अपने विवेक से एक अतिरिक्त नाम इस सूची में शामिल कर सकेंगे। कुल तीन नामों को अंतिम स्वीकृति दी जाएगी।

शोधप्रबन्ध का परीक्षण–

1 निर्धारित शुल्क सहित शोध प्रबन्ध प्राप्त होने पर उसे तीन परीक्षकों के पास भेजा जायेगा। प्रत्येक परीक्षक अपना प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र पर प्रेषित करेंगे। प्रत्येक परीक्षक शोध प्रबन्ध की विशेषताओं के लिए अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी के अतिरिक्त यह स्पष्ट रूपेण प्रकट करेगा कि –

(क) शोध प्रबन्ध विद्यावारिधि की उपाधि हेतु सर्वथा योग्य है।

अथवा

–शोध प्रबन्ध अस्वीकृत किया जाता है। (कारण सहित उल्लेख करना होगा।)

अथवा

–संशोधन की संस्तुति की जाती है।

(ख) शोध प्रबन्ध के प्रकाशन की संस्तुति की जाती है।

अथवा

–शोध प्रबन्ध के प्रकाशन की संस्तुति नहीं दी जा सकती है। (कारण सहित उल्लेख करना होगा।)

2 तीन परीक्षकों में से दो परीक्षकों का निर्णय समान होने पर वही निर्णय ग्राह्य होगा।

3 यदि कोई दो परीक्षक शोध–प्रबन्ध के संशोधन का निर्णय देते हैं तो शोधार्थी को शोध–प्रबन्ध में संशोधन के उपरान्त पुनः प्रस्तुत करना होगा।

4 संशोधन की संस्तुति करते समय यह आवश्यक होगा कि परीक्षक संशोधन के लिए अभ्यर्थी के लिए संशोधनीय अंशों का स्पष्ट निर्देश और तथ्यों का उल्लेख करें। अभ्यर्थी को निर्णय की सूचना की तिथि से अधिकतम एक वर्ष के भीतर परीक्षकों द्वारा निर्दिष्ट दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए शोध प्रबन्ध का संशोधन करके पुनः प्रस्तुत करना होगा। संशोधित शोध प्रबन्ध पुनः उन्हीं परीक्षकों के पास भेजा जायेगा।

5 तीन परीक्षकों के परिणामों के आधार पर निम्नलिखित रूप से परिणाम घोषित किया जायेगा–

– परीक्षक 'क' द्वारा स्वीकृत, परीक्षक 'ख' द्वारा अस्वीकृत तथा 'ग' द्वारा स्वीकृत होने पर शोध–प्रबन्ध स्वीकृत माना जाएगा।

– परीक्षक 'क' द्वारा स्वीकृत परीक्षक 'ख' द्वारा संशोधन के लिए स्वीकृत तथा परीक्षक 'ग' द्वारा भी संशोधन के लिए स्वीकृत होने पर संशोधन हेतु शोध प्रबन्ध शोधार्थी को भेजा जायेगा।

– परीक्षक 'क' द्वारा स्वीकृत, परीक्षक 'ख' द्वारा संशोधन के लिए संस्तुत तथा परीक्षक 'ग' द्वारा अस्वीकृत शोधप्रबन्ध संशोधन के लिए शोधार्थी को भेजा जायेगा।
– परीक्षक 'क' द्वारा अस्वीकृत के लिए संस्तुत, परीक्षक 'ख' संशोधन के लिए संस्तुत, तथा परीक्षक 'ग' द्वारा भी अस्वीकृत के लिए संस्तुत होने पर शोधप्रबन्ध अस्वीकृत माना जायेगा।

–प्रत्येक परीक्षक को तीन महीने के अन्दर मूल्यांकन रिपोर्ट देनी होगी। तीन माह में रिपोर्ट न देने पर परीक्षकत्व स्वतः ही समाप्त माना जाएगा। ऐसी स्थिति में नए परीक्षक के पास शोधप्रबन्ध को भेजा जायेगा। यह परीक्षक उन परीक्षकों की सूची में से होगा, जो समिति द्वारा संस्तुत की गई है।

शोध प्रबन्ध के साथ 10–12 पृष्ठों में सार–संक्षेप (Summary) एवं विभागीय शोध समिति द्वारा स्वीकृत रूपरेखा (Synopsis) भी पांच प्रतियों में जमा करनी होगी।

मौखिकी या वाक् परीक्षा–

यदि परीक्षक संस्तुति करते हैं कि शोध प्रबन्ध स्वीकार्य है तो शोधार्थी को वाक् परीक्षा के लिए साक्षात्कार मंडल (बोर्ड) के समक्ष उपस्थित होना होगा। मंडल में दो परीक्षक होंगे, जिनमें एक शोध निर्देशक और दूसरा बाह्य परीक्षकों में से कुलपति द्वारा नामित परीक्षक होगा, जिसने शोध प्रबन्ध को स्वीकार करने की संस्तुति की हो। वाक्–परीक्षा के समय शोध विभाग शोध–प्रबन्ध के पूर्व प्रतिवेदन के रूप में शोध का विवरण तथा निर्णय साक्षात्कार मंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। वाक्–परीक्षा के समय विवि के अन्य अध्यापक तथा शोध–छात्र भी उपस्थित रहकर वाक्–परीक्षा सुन सकते हैं, किन्तु उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं होगा। वाक्–परीक्षा परीक्षकों की रिपोर्ट आने के तीन महीने के भीतर संपन्न करानी होगी। शोध प्रबन्ध जमा कराने से वाक् परीक्षा संपन्न कराने तक के कार्य अधिकतम छह महीने में पूरे किए जायेंगे। यदि किसी प्रकरण में दोनों वाक् परीक्षक असन्तुष्ट हैं तो अभ्यर्थी को अधिकतम तीन माह के भीतर पुनः वाक् परीक्षा के लिए उपस्थित होना अपेक्षित होगा। यदि अभ्यर्थी द्वितीय बार भी वाक् परीक्षकों को सन्तुष्ट नहीं कर सका तो शोध प्रबन्ध अस्वीकृत माना जाएगा, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय विद्या–परिषद् द्वारा लिया जाएगा। विद्या–परिषद् को सम्बन्धित शोधार्थी को वाक् परीक्षा का एक और अवसर देने का अधिकार होगा।

1. वाक्–परीक्षा का स्थान विश्वविद्यालय मुख्यालय होगा, किन्तु किसी विशिष्ट प्रकरण में कुलपति वाक्–परीक्षा के लिए अन्य स्थान की अनुमति प्रदान कर सकेंगे।
2. कोई भी अभ्यर्थी अपने शोध प्रबन्ध को दो बार से अधिक संशोधित रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।
3. वाक्–परीक्षा के अनन्तर यदि वाक् परीक्षक भी विद्यावारिधि उपाधि प्रदान करने के लिए संस्तुति करते हैं तो सभी संस्तुतियां कुलपति के समक्ष प्रस्तुत की जायेंगी।
4. कुलपति अस्थायी रूप से शोधार्थी को विद्यावारिधि के योग्य घोषित करेंगे।
5. साक्षात्कार बोर्ड द्वारा परीक्षार्थी को 'विद्यावारिधि–उपाधि–योग्य' संस्तुति करने के पश्चात् कुलसचिव एक अस्थायी प्रमाण पत्र जारी करेंगे। लेकिन, उक्त प्रमाण पत्र निर्गत करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शोधार्थी द्वारा अपनी थीसिस को यू.जी.सी. के शोध गंगा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

परीक्षक की योग्यता–

शोध–प्रबन्ध मूल्यांकन हेतु परीक्षकों की निम्नलिखित योग्यताएं अपेक्षित हैं –

विद्यावारिधि/पीएच.डी. या समकक्ष शोध–उपाधि प्राप्त सह आचार्य एवं आचार्य ऐसे नियमित सहायक आचार्य जो स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम पांच वर्ष का अध्यापन कर चुके हों।

सह आचार्य अथवा आचार्य पद से सेवानिवृत्त विद्वान्।

निष्क्रमणनप्रमाण पत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट)

अन्य विश्वविद्यालय के छात्रों को पंजीकरण से पूर्व अथवा अधिकतम तीन माह के भीतर निष्क्रमण प्रमाण पत्र/माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा करना होगा। इसके अभाव में प्रवेश निरस्त हो जायेगा। किन्तु कुलपति इस अवधि को बढ़ाने की अनुमति दे सकते हैं।

8. उपाधि आदि अवार्ड करने के लिए मूल्यांकन तथा निर्धारण पद्धतियां, न्यूनतम मानदण्ड/क्रेडिट आदि

8.1 एम.फिल. उपाधि प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम संबंधी कार्य हेतु क्रेडिट सहित समग्र न्यूनतम क्रेडिट संबंधी अपेक्षाएं 24 क्रेडिट से कम नहीं होंगी।

8.2 पाठ्यक्रम संबंधी कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त तथा उपर्युक्त 6.8 उप धाराओं में विहित अंक/ग्रेड प्राप्त करने पर, जैसा भी मामला हो, एम.फिल./पीएच.डी. शोधार्थी द्वारा शोध कार्य आरंभ करना अपेक्षित होगा तथा इन विनियमों के अधार पर विश्वविद्यालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट निर्धारित समय में एक मसौदा शोध प्रबंध/थीसिस जमा करना होगा।

8.3 शोध प्रबंध/थीसिस को जमा करने से पूर्व, शोधार्थी विश्वविद्यालय की शोध सलाहकार समिति के समक्ष एक प्रस्तुति देगा जिसमें सभी संकाय सदस्यगण तथा अन्य शोधार्थी उपस्थित होंगे। उनसे प्राप्त हुई प्रतिपुष्टि तथा टिप्पणियों को शोध सलाहकार समिति के परामर्श से मसौदा शोध प्रबंध/थीसिस में उपयुक्त रूप से शामिल किया जाए।

8.4 मूल्यांकन किए जाने हेतु शोध प्रबंध/थीसिस जमा करने से पूर्व एम.फिल. शोधार्थी किसी सम्मेलन/संगोष्ठी में कम से कम एक (01) शोध पत्र प्रस्तुत करेगा तथा पीएच.डी. शोधार्थी संदर्भित पत्रिका में कम से कम (01) शोध पत्र अनिवार्य रूप से प्रकाशित कराएगा तथा अपने शोध प्रबन्ध/थीसिस प्रस्तुत करने से पूर्व, सम्मेलनों/संगोष्ठियों में न्यूनतम दो पेपर प्रस्तुत करेगा तथा इनके संबंध में प्रस्तुतीकरण प्रमाणपत्र और/अथवा पुनर्मुद्रणों के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

8.5 विश्वविद्यालय की विद्वत् परिषद् (अथवा इसके समकक्ष निकाय), सुविकसित सॉफ्टवेयर तथा उपकरणों के विकास द्वारा साहित्यिक चोरी तथा शिक्षा संबंधी छल–कपट का पता लगायेगी। शोध प्रबंध/थीसिस को मूल्यांकन हेतु जमा करने से पूर्व शोधार्थी से एक वचनबद्धता प्राप्त की जाएगी तथा शोध पर्यवेक्षक/निर्देशक द्वारा कार्य की मौलिकता के अनुप्रमाणन स्वरूप एक प्रमाणपत्र जमा करना होगा, जिसमें यह आश्वासन दिया जाएगा कि किसी भी प्रकार की साहित्यिक चोरी नहीं की गई है तथा यह कार्य उसी संस्थान में जहां यह शोध कार्य किया गया था अथवा किसी अन्य संस्थान में किसी अन्य उपाधि/डिप्लोमा पाठ्यक्रम अवार्ड करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8.6 किसी भी शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये एम.फिल. शोध प्रबंध का मूल्यांकन उसके शोध पर्यवेक्षक/निर्देशक तथा कम से कम एक ऐसे बाह्य परीक्षक द्वारा किया जाएगा जो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में नियोजित नहीं हो। अन्य बातों के साथ–साथ मूल्यांकन रिपोर्ट में की गई आलोचना पर मौखिक साक्षात्कार, दोनों परीक्षकों द्वारा एक साथ किया जाएगा, जिसमें शोध सलाहकार समिति के सदस्यगण तथा विभाग के संकाय सदस्यगण तथा अन्य शोधार्थी एवं इस विषय में रुचि लेने वाले अन्य विशेषज्ञ/शोधकर्त्ता भी भाग ले सकते हैं।

8.7 शोधार्थी द्वारा जमा किए गए पीएच.डी. शोध प्रबंध का मूल्यांकन उसके शोध पर्यवेक्षक/निर्देशक तथा कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया जाएगा जो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में नियोजित न हों, जिनमें से एक परीक्षक विदेश से भी हो सकता है। अन्य बातों के साथ–साथ मूल्यांकन रिपोर्ट में की गई आलोचना पर मौखिक परीक्षा, शोध पर्यवोक्षक तथा दो बाह्य परीक्षकों में से कम से कम एक बाह्य परीक्षक द्वारा की जाएगी, इसमें शोध सलाहकार समिति के सदस्यगण तथा विभाग में संकाय सदस्यगण तथा अन्य शोधार्थी और इस विषय में रुचि लेने वाले अन्य विशेषज्ञ/शोधकर्ता भी भाग ले सकते हैं।

8.8 शोध प्रबंध/थीसिस के पक्ष में शोधार्थी की सार्वजनिक मौखिक परीक्षा केवल उस स्थिति में ली जाएगी जब शोध प्रबंध/थीसिस पर बाह्य परीक्षकों की मूल्यांकन रिपोर्ट संतोषजनक हो तथा उसमें मौखिक परीक्षा आयोजित करने के लिये विशिष्ट सिफारिश शामिल हो। एम.फिल. शोध प्रबंध के मामले में बाह्य परीक्षकों की मूल्यांकन रिपोर्ट अथवा पीएच.डी. शोध प्रबंध के मामले में बाह्य परीक्षक की कोई एक मूल्यांकन रिपोर्ट असंतोषजनक होने पर तथा उसमें मौखिक परीक्षा की सिफारिश नहीं किए जाने पर विश्वविद्यालय परीक्षकों के अनुमोदित पैनल में से किसी अन्य बाह्य परीक्षक को शोध प्रबंध/थीसिस भेजेगा तथा नए परीक्षक की रिपोर्ट संतोषजनक पाए जाने पर ही मौखिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यदि नए परीक्षक की रिपोर्ट भी असंतोषजनक हो तो, शोध प्रबंध/थीसिस को अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा शोधार्थी को उपाधि प्रदान करने के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।

8.9 विश्वविद्यालय उपर्युक्त पद्धति विकसित करेगा ताकि शोध प्रबंध/थीसिस जमा करने की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर एम.फिल. शोध प्रबंध/पीएच.डी. शोध प्रबंध के मूल्यांकन की समग्र प्रक्रिया पूर्ण की जा सके।

9. एम.फिल./पीएच.डी. पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत करने के लिए महाविद्यालयों द्वारा पूर्ण की जाने वाली शैक्षणिक, प्रशासनिक तथा अवसंरचनात्मक अपेक्षाएं

9.1 महाविद्यालयों को केवल उस स्थिति में एम.फिल./पीएच.डी. पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करने हेतु पात्र माना जाएगा जब वे इन विनियमों के अनुरूप पात्र शोध पर्यवेक्षकों/निर्देशकों की उपलब्धता, अपेक्षित अवसंरचना और सहायक प्रशासनिक तथा शोध संवर्धन सुविधाएं होने के संबंध में संतुष्ट कर पाएंगे।

9.2 महाविद्यालयों के स्नातोत्तर विभाग, भारत सरकार/राज्य सरकार की शोध प्रयोगशालाएं तथा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान जिनके संबंधित विभाग में कम से कम दो पीएच.डी. अर्हता प्राप्त शिक्षक/वैज्ञानिक/अन्य शैक्षणिक स्टाफ हों तथा इन विनियमों के अनुरूप उप–खण्ड 9.3 में यथा विनिर्दिष्ट साथ ही अपेक्षित अवसंरचना, सहायक प्रशासनिक तथा शोध संवर्धन सुविधाएं मौजूद हों, उन्हें एम.फिल./पीएच.डी. पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिये पात्र माना जाएगा। इसके साथ–साथ महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय से अनिवार्य मान्यता प्राप्त होनी चाहिए जिनके तहत वे कार्य करते हैं।

9.3 केवल निम्नानुसार उल्लिखित शोध हेतु पर्याप्त सुविधाओं वाले महाविद्यालय ही एम.फिल./पीएच.डी. पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे:

9.3.1 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विधाओं के मामले में, संबंधित संस्थानों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नवीनतम उपकरण से सुसज्जित विशिष्ट शोध प्रयोगशालाएं जिनमें प्रति शोधार्थी हेतु पर्याप्त स्थान की व्यवस्था हो, साथ ही कम्प्यूटर सुविधाएं तथा अनिवार्य सॉफ्टवेयर तथा अबाधित विद्युत एवं जलापूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए;

9.3.2 नवीनतम पुस्तकों सहित चिह्नित ग्रंथालय संसाधन, भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, ई–जर्नल, सभी विधाओं हेतु विस्तारित कार्य घंटे, विभाग/ग्रंथालय में शोधार्थियों हेतु पठन, लेखन हेतु पर्याप्त स्थान, अध्ययन तथा शोध सामग्री के भण्डारण की व्यवस्था होनी चाहिए;

9.3.3 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय आसपास के संस्थानों/महाविद्यालयों की अपेक्षित सुविधाओं तक पहुंच बना सकते हैं अथवा उन संस्थानों/महाविद्यालयों/अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं/संगठनों तक पहुंच बना सकते हैं जिनमें अपेक्षित सुविधाएं हैं।

10. दूरस्थ शिक्षा पद्धति/अंशकालिक शिक्षा पद्धति के माध्यम से पीएच.डी./एम.फिल. उपाधि का संचालन

10.1 वर्तमान में लागू इन विनियमों अथवा किसी नियम अथवा विनियम में अंतर्विष्ट किसी भी बात के बाबजूद कोई भी विश्वविद्यालय, संस्थान, मानित विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से एम.फिल. और पीएच.डी. पाठ्यक्रम नहीं चलाएगा।

10.2 अंशकालिक आधार पर पीएच.डी. पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति होगी बशर्ते मौजूदा पीएच.डी. विनियमों में उल्लिखित सभी शर्तें पूर्ण की जाएं।

11. इन विनियमों की अधिसूचना से पूर्व प्रदान की गयी एम.फिल./पीएच.डी. उपाधियों अथवा विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई उपाधियां

11.1 ऐसे अभ्यर्थी जो एम.फिल./पीएच.डी. पाठ्यक्रमों के लिए जुलाई, 11 2009 को अथवा उसके पश्चात्, इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि तक पंजीकृत हुए थे, ऐसे अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान किया जाना, इन यूजीसी (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने के न्यूनतम मानक एवं विधि) विनियम, 2009 के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होगा।

11.2 यदि विदेशी विश्वविद्यालय द्वारा एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि प्रदान की जाती है तो ऐसी उपाधि पर विचार करने हेतु विश्वविद्यालय ऐसे मामले को अवार्ड की गई उपाधि की समुतल्यता का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय द्वारा गठित स्थायी समिति को भेजेगा।

12. इन्फ्लिबनेट के साथ डिपोजिटरी :

12.1 एम.फिल./पीएच.डी. उपाधियों को अवार्ड करने हेतु सफलतापूर्वक मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के पश्चात् तथा एम. फिल./पीएच.डी. उपाधि को प्रदान किये जाने की घोषणा से पूर्व, विश्वविद्यालय एम.फिल./पीएच.डी. शोध प्रबंध की एक इलैक्ट्रॉनिक प्रति इंफ्लिबनेट के पास प्रदर्शित (होस्ट) करने के लिए जमा करेगा ताकि सभी संस्थानों/महाविद्यालयों तक इनकी पहुंच बनाई जा सके।

12.2 उपाधि को वास्तव में प्रदान करने से पूर्व उपाधि प्रदान करने वाला यह विश्वविद्यालय इस आशय का एक अनंतिम प्रमाणपत्र जमा करेगा कि उपाधि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप प्रदान की गई है।

(प्रो. पीयूषकान्त दीक्षित)
कुलपति
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय
हरिद्वार।